

फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री नरेन्द्र सिंह निवासी आशापुरा नगर, दारगेला, फरारा, तहसील व जिला राजसमन्द

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द

– प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005

पत्रावली संख्या 71/2023

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक 30.10.2023</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये क्रमांक: एफ.1() सू0अ0,05/प्रथम अपील/2023/707-708 दिनांक 03.10.2023 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी वांछित सूचना का आवेदन पत्र दिनांक 23.08.2023 को सूचना के अधिकार अधिनियम, 05 के तहत ऑनलाईन पोर्टल से दिनांक 24.08.2023 को प्राप्त हुआ है। तथा अपीलार्थी द्वारा चाही गयी वांछित सूचना कार्यालय के विकास अनुभाग से संबंधित होने से इस कार्यालय द्वारा प्रभारी अधिकारी विकास अनुभाग को पत्रांक 634 दिनांक 24.08.2023 को पत्र प्रेषित किया गया। प्रभारी अधिकारी विकास अनुभाग द्वारा जरिये पत्रांक 761 दिनांक 01.09.2023 से प्रार्थी के आवेदन में इप्सित सूचना अनुभाग के अभिलेख पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार, इस अनुभाग को उपलब्ध करवाई गई है। तथा ऑनलाईन पोर्टल क्रमांक 4653576853 दिनांक 04.09.2023 से ऑनलाईन पोर्टल पर प्रार्थी को प्रभारी अधिकारी विकास अनुभाग के द्वारा प्रेषित सूचना की प्रति अपलोड कर प्रार्थी अपीलार्थी को जरिये ऑनलाईन प्रेषित कर, सूचित किया गया है।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना को जरिये ऑनलाईन प्रेषित कर अपीलार्थी को सूचित किया जाने से उक्त प्रकरण खारिज किया जाता है।</p> <p>निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	



लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद